रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72
REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 621] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पौष 1, 1906
No. 621] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

का. आ. 955(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यतः मैंने, ज़ैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति ने, 24 जून, 1983 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से छः मास की कालावधि के लिए निलंबित करते हुए, और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाते हुए जो मुझे उपर्युक्त कालावधि में पांडिचेरी संघ राज्य का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था;

और, यतः, मैंने 23 दिसम्बर, 1983 और 21 जून, 1984 को, उस तारीख से जिसको प्रथम वर्णित आदेश अन्यथा समाप्त हो गया होता, प्रत्येक अवसर पर छः मास की और अवधि के लिए पूर्वोक्त आदेश के अधीन निलम्बित अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का निलम्बन जारी रखने के लिए और आदेश किए थे;

और, यतः, मुझे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और उक्त संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम उल्लिखित आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलंबित किए गए अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलंबित बना रहना चाहिए और उसमें किए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध एक वर्ष और छः मास की अवधि के परे प्रवृत्त बने रहने चाहिए;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं :—

(क) कि प्रथम उल्लिखित आदेश के खंड (क) के फलस्वरूप निलंबित अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलंबित बना रहेगा और उस आदेश के खंड (ख)

के फलस्वरूप बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 24 दिसम्बर, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे; और

(ख) कि प्रथम उल्लिखित आदेश, जिसे बाद में संशोधित किया गया, के खंड (क) में आने वाले "एक वर्ष छः मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नई दिल्ली,
22 दिसम्बर, 1984

(ज़ैल सिंह)
भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. यू.-11012/1/83-यू.टी.एल.]

हर्ष वदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd December, 1984

NOTIFICATION

S.O. 955(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, Zail Singh, President of India, had on the 24th June, 1983, made an Order suspending for a period of six months from that date the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Pondicherry, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union Territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period ;

And, whereas, I had on the 23rd December, 1983 and the 21st June, 1984, made further Orders continuing the suspension of operation of the provisions of the Act for a further period of six months on each occasion from the date on which the first mentioned Order would otherwise have expired ;

And, whereas, I have received a report from the Administrator of the Union Territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union Territory of Pondicherry continues to be such that the administration of that Union territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of that Union Territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the first mentioned Order, should continue to remain suspended, and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of one year and six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

(a) that the operation of the provisions of Act suspended by virtue of clause (a) of the first mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of six months with effect from the 24th day of December, 1984 ; and

(b) that for the words "one year and six months" occurring in clause (a) of the first mentioned Order, as subsequently amended, the words "two years" shall be substituted.

New Delhi,
the 22nd December, 1984.

Sd/-
(ZAIL SINGH)
President of India

[No. U-11012/1/83-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984